

Delhi Legislative Assembly
Bulletin Part-II

(General information relating to legislative and other matters)

Monday the 9th September, 2002/18 Bhadrapad (Saka), 1924

No. 231

1. **14TH SESSION (SPECIAL) OF THE SECOND LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI:** Hon'ble Members are informed that a Special Session of the Second Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will be held on Wednesday, the 11th September, 2002 to discuss the situation arising out of the recent amendments in the Transaction of Business of the Government of NCT of Delhi Rules.

The sitting of the Legislative Assembly shall commence at 11.00 AM and continue till it is adjourned for the day, unless the Speaker directs otherwise.

2. **There will be no Question Hour on 11th September 2002.**
3. **Visitors' Gallery:** Attention of the Members is invited to the direction issued by the Hon'ble Speaker under Rule 291 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly with regard to admission to the Visitors' Gallery. The Direction *inter alia* provide that application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5.00 P.M. on the working day previous to the date for which gallery passes are required. Thus application for the passes meant for 11th September 2002 will be accepted upto 5.00 P.M. of 10th September 2002.

The seating capacity in the Visitors' Gallery being limited, not more than two passes shall be issued to a Member for each sitting. No admission cards for the Visitors' Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Members are requested to recommend issue of Gallery Passes for those visitors whose antecedents are well known to them.

NOTE:

In order to maintain proper decorum in the House, Members are requested not to bring **Cellular Phones, Pagers or other electronic gadgets etc. in the House.** If they are in possession thereof, they may kindly ensure that these are kept switched off as long as they are in the House.

S. K. SHARMA
SECRETARY

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

सोमवार, 09 सितम्बर, 2002 / भाद्रपद 18, 1924 (शक)

संख्या: 231

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दूसरी विधान सभा का विशेष सत्र ।

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दूसरी विधान सभा का विशेष सत्र बुधवार, 11 सितम्बर, 2002 को, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की कार्य-संपादन नियम (Transaction of Business of the Government of NCT of Delhi Rules) में हुए संशोधन पर चर्चा हेतु पूर्वाह्न 11.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में होगा ।

विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रारम्भ होगी और तब तक चलेगी जब तक उसे स्थगित न कर दिया जाए ।

(2) 11 सितम्बर, 2002 को प्रश्न कॉल नहीं होगा ।

(3) दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र

सदस्यों का ध्यान दर्शक दीर्घा प्रवेश संबंधी विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 291 के अंतर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों की ओर आकर्षित किया जाता है । इसके साथ-साथ निर्देशों में व्यवस्था है कि दर्शक दीर्घा के प्रवेश-पत्र जारी कराने के आवेदन पत्र, जिस दिन के लिए प्रवेश पत्र चाहिए, उस दिन से पूर्व एक कार्य दिवस को अपराह्न 5.00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किए जायें । उदाहरणार्थ 11/09/2002 को होने वाली सदन की बैठक के लिए दर्शक दीर्घा के लिए आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् 10/09/2002 को अपराह्न 5.00 बजे तक स्वीकार किए जायेंगे ।

दर्शक दीर्घा में बैठने के सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश-पत्र सामान्यतया जारी नहीं किये जायेंगे ।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों को दर्शक दीर्घा प्रवेश-पत्र जारी करें, जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भाँति जानते हों ।

एस.के. शर्मा
सचिव

टिप्पणी :

सदन में उचित अनुशासन रखने के उद्देश्य से सदस्यों से अनुरोध है कि सदन में सेल्युलर टेलीफोन, पेजर्स अथवा वैद्युत उपकरण (इलेक्ट्रॉनिक गेजेट) आदि लेकर न आयें । यदि उनके पास इस प्रकार के उपकरण हों तो वे कृपया यह सनिश्चित करें कि जब तक वे सदन में हों तो ऐसे उपकरणों को बन्द रखें ।